समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Wednesday, 26 August 2026

नाशिक मे 'भोंदूबाबा' अशोक खरात पर बड़ा खुलासा : करोड़ों की संपत्ति, लेकिन आय सिर्फ 12 लाख घोषित ! टैक्स और GST चोरी के आरोप

Sanket Morankar Published on 01 Apr 2026

महाराष्ट्र के नाशिक से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां स्वयंभू 'भोंदूबाबा' अशोक खरात पर करोड़ों रुपये की टैक्स चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगे हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार, खरात के पास करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद उन्होंने अपनी आय केवल 12 लाख रुपये घोषित की, जिससे पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है।

सूत्रों के मुताबिक, आयकर विभाग और जीएसटी विभाग की संयुक्त जांच में यह खुलासा हुआ कि अशोक खरात ने अपनी वास्तविक आय और संपत्ति को छिपाकर सरकार को बड़े पैमाने पर राजस्व का नुकसान पहुंचाया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उनके पास आलीशान संपत्तियां, महंगी गाड़ियां और विभिन्न निवेश मौजूद हैं, जिनकी कुल कीमत करोड़ों में आंकी जा रही है।

जांच एजेंसियों का कहना है कि खरात ने अपने धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों के नाम पर भारी मात्रा में नकद लेनदेन किया, जिसे आधिकारिक रिकॉर्ड में नहीं दिखाया गया। इसके अलावा, कई संदिग्ध बैंक खातों और लेनदेन की भी जांच की जा रही है, जिनसे टैक्स चोरी की आशंका और गहराती जा रही है।

बताया जा रहा है कि जीएसटी विभाग को भी इस मामले में बड़ी अनियमितताएं मिली हैं। आरोप है कि खरात ने अपने विभिन्न आयोजनों और सेवाओं से जुड़े कारोबार पर सही तरीके से GST का भुगतान नहीं किया। इससे सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है।

इस मामले ने इसलिए भी ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं क्योंकि अशोक खरात पहले से ही कई विवादों में घिरे हुए हैं। उन पर महिलाओं के शोषण और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप भी लग चुके हैं। अब वित्तीय अनियमितताओं के खुलासे के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं।

जांच एजेंसियों ने इस मामले में कई अहम दस्तावेज जब्त किए हैं और उनके करीबियों से पूछताछ भी की जा रही है। सूत्रों का

कहना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। अगर आरोप साबित होते हैं, तो खरात के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें भारी जुर्माना और जेल की सजा भी शामिल हो सकती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मामलों में पारदर्शिता की कमी और नकद लेनदेन की अधिकता बड़ी समस्या बनती है। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के नाम पर कई बार बड़े पैमाने पर धन का प्रवाह होता है, जिसे सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ऐसे में सरकार के लिए इन गतिविधियों पर नजर रखना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

स्थानीय लोगों के बीच भी इस मामले को लेकर चर्चा तेज है। कई लोगों ने कहा कि उन्हें पहले से ही खरात की गतिविधियों पर संदेह था, लेकिन अब जांच में सामने आए तथ्यों ने उनके संदेह को सही साबित कर दिया है। वहीं, कुछ समर्थक अभी भी उनके पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं और आरोपों को साजिश बता रहे हैं।

सरकार और जांच एजेंसियों ने साफ किया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा, चाहे वह कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो। इस मामले में भी निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कुल मिलाकर, नाशिक का यह मामला एक बार फिर यह दिखाता है कि समाज में प्रभावशाली माने जाने वाले कुछ लोग किस तरह कानून का उल्लंघन कर सकते हैं। अशोक खरात के खिलाफ सामने आए ये आरोप न केवल वित्तीय अनियमितताओं को उजागर करते हैं, बल्कि यह भी संकेत देते हैं कि ऐसे मामलों में कड़ी निगरानी और सख्त कार्रवाई की कितनी जरूरत है। आने वाले समय में जांच की दिशा और परिणाम पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Sanket Morankar, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.